



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231714
CG-DL-E-08122021-231714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4716]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4716]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5090(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आरडीओ ऑफिस वारंगल, वारंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट (NH765DG) के कि.मी 116.19 से कि.मी. 137.132 तेलंगाना राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH765DG पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH765DG के कि.मी. 116.19 से 137.132 तक	तेलंगाना	वारंगल अर्बन	एल्कातुर्थी	<table><tr><td>1</td><td>दमेरा</td></tr><tr><td>2</td><td>एल्कातुर्थी</td></tr></table>	1	दमेरा	2	एल्कातुर्थी
1	दमेरा									
2	एल्कातुर्थी									

[फा. सं. Rc. No.G/2210/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5090(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 116.190 to Km. 137.132 of Revenue Division office Warangal, Warangal Urban District (NH765DG) in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH765DG in the State of TELANGANA

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village					
1	2	3	4	5	6	7					
1	Revenue Divisional officer	116.19KM. To 137.132KM.	TELANGANA	WARANGAL URBAN	<table><tr><td rowspan="2">Elkathurthi</td><td>1</td><td>Damera</td></tr><tr><td>2</td><td>Elkathurthi</td></tr></table>		Elkathurthi	1	Damera	2	Elkathurthi
Elkathurthi	1	Damera									
	2	Elkathurthi									

[F. No. Rc. No.G/2210/2018]

RAJESH GUPTA, Director